

अनुभव प्रमाण पत्र, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सरपंच के लेटर हेड पर जारी किया जाना है।

अनुभव प्रमाण पत्र

में, राम सिंह चौहान (ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम),
ग्राम प्रधान/सरपंच- ग्राम पंचायत त्रिपाठ विकास
खंड: पहलिया जनपद चंदौली
..... प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री /श्रीमती
रामधर चौहान (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती
धनेश चौहान (पिता/माता का नाम), निवासी
त्रिपाठ (ग्राम पंचायत का नाम), जिसका
आधार संख्या 5806 3261 8061 (आधार संख्या) है, ने हमारी
ग्राम पंचायत त्रिपाठ में पेयजल वितरण प्रणाली के संचालन/प्लंबिंग
और रखरखाव में न्यूनतम 2 वर्षों तक कार्य किया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी प्रविष्टियाँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।
यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय एवं स्तर पर असत्य/गलत पाये
जाते हैं तो इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए
मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक: 30/01/26

